जनसत्ता

अनदेखी का हासिल

देश के बैंकों से भारी रकम बतौर कर्ज लेकर उसे डुबोने या विदेश भाग जाने वाले कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के सरकार के दावे जमीनी हकीकत से दूर लगते हैं। यह समझना मुश्किल है कि सार्वजनिक रूप से ऐसे भगोड़ों पर अंकुश लगाने के बयान कार्रवाई के स्तर पर उतने ही प्रभावी क्यों नहीं हो पाते! इसका ताजा उदाहरण यह है कि सरकार पिछले कुछ समय से लगातार देश का पैसा लेकर विदेश भागने वालों को नहीं छोड़ने की बात कर रही थी, दूसरी ओर सोमवार को खबर आई कि पंजाब नेशनल बैंक में लगभग चौदह हजार करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी ने तकनीकी रूप से भी भारत की नागरिकता छोड़ दी। हालांकि उसने 2017 में ही कर-चोरी के एक बड़े ठिकाने वाले देश एंटीगुआ की नागरिकता ले ली थी। इसके बाद भी सरकार यह दावा करती रही कि चूंकि उसके पास दोहरी नागरिकता है, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब मेहुल चोकसी ने पासपोर्ट समर्पित करने के बाद भारत की नागरिकता का त्याग करने की औपचारिकता भी पूरी कर ली। यों सरकार का अब भी यही कहना है कि नागरिकता छोड़ने से भी चोकसी नहीं बचेगा और सभी भगोड़े भारत लाए जाएंगे। लेकिन सच यह है कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत कार्रवाई के दावे के बावजूद देश के बैंकों से हजारों करोड़ लेकर विदेश भागे लोगों पर कार्रवाई का रिकॉर्ड बहुत संतोषजनक नहीं है।

विदेश भाग गए आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा कसने के सरकारी दावे चाहे जो हों, लेकिन अगर चोकसी ने यह कदम उठाया है तो उसका मकसद खुद को और सुरक्षित बनाना ही है। दरअसल, एंटीगुआ और भारत के बीच अभी तक कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है, इसलिए उसकी वापसी संदेह के घेरे में है। अब वह चूंकि विदेशी नागरिक है, इसलिए मौजूदा नियमों के तहत उसके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई से पहले भारत को एंटीगुआ की इजाजत की जरूरत पड़ेगी। यही नहीं, अब अगर किन्हीं स्थितियों में चोकसी को कानूनी कार्रवाई के लिए भारत लाया भी जाता है तो उसे विदेशी नागरिक की हैसियत से लाना होगा। किसी आपराधिक मामले में एक भारतीय नागरिक को भी पकड़ कर विदेश से वापस लाने की कानूनी प्रक्रिया जटिल है। इसके मुकाबले किसी विदेशी को भारत लाने की प्रक्रिया ज्यादा मुश्किल है। यानी अगर भारत सरकार ईमानदारी से मेहुल चोकसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहती है तो भी अब इसमें काफी देरी हो सकती है।

सवाल यह है कि हजारों करोड़ की रकम का घोटाला होता रहा और बैंकों से लेकर सरकारी तंत्र और संबंधित महकमों तक को भनक क्यों नहीं लगी या फिर अगर इसकी अनदेखी की गई तो इसकी वजह क्या थी? दूसरे, मेहुल चोकसी, विजय माल्या या नीरव मोदी जैसे कई कारोबारी इतनी बड़ी रकम डुबोने के बाद कैसे आसानी से विदेश भाग गए! देश से बाहर जाने वाले व्यक्ति की जांच-पड़ताल का जो स्तर होता है, उसमें बिना किसी योजना या मिलीभगत के इन सबका भागना इतना आसान नहीं था। यह तथ्य है कि मेहुल चोकसी को एंटीगुआ की नागरिकता मिल सकी तो उसमें मुंबई के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के पुलिस के प्रमाण-पत्र का भी योगदान है। आज मेहुल चोकसी या देश का पैसा लेकर विदेश फरार हो गए बाकी लोगों को लेकर अगर सरकार को फजीहत झेलनी पड़ रही है या उन्हें वापस लाने का भरोसा देना पड़ रहा है तो इसके पीछे खुद सरकार की लापरवाही या ऐसे लोगों को मिला संरक्षण है। अगर समय रहते इनके खिलाफ सख्ती बरती गई होती तो आज न केवल ये गिरफ्त में होते, बल्कि देश को हजारों करोड़ का नुकसान नहीं उठाने की नौबत आती।

अमीरी-गरीबी

भारत के अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, उनकी संपत्ति-रुपए पैसे में और इजाफा हो रहा है। यह खबर चौंकाने वाली नहीं है कि अमीर पहले के मुकाबले और बड़े धनपति हो रहे हैं। चिंताजनक तथ्य यह है कि गरीब की गरीबी दूर नहीं हो रही। गरीब और अमीर के बीच खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में विश्व आर्थिक मंच का सम्मेलन भी शुरू हो रहा है जिसमें दुनिया के प्रमुख नेता, उद्योगपति और अर्थशास्त्री समूचे विश्व की आर्थिक हालत और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। अमीरों की जमात का यह सम्मेलन हर साल इसी शहर में होता है और तभी पता भी लगता है कि दुनिया के अमीर-गरीब का हाल क्या है। इस सम्मेलन से ठीक पहले दुनिया से गरीबी दूर करने का बीड़ा उठाने वाले संगठन ऑक्सफेम ने अपनी रिपोर्ट जारी है। इस रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ कि भारत के नौ अमीरों के पास जितनी संपत्ति है वह देश की आधी आबादी के पास मौजूद कुल संपत्ति के बराबर है। ऐसे अध्ययनों के अपने कई मापदंड और तरीके होते हैं। इनसे जो नतीजे सामने आते हैं वे व्यापक स्तर पर बन रही तस्वीर को दिखाने के लिए पर्याप्त होते हैं। इसलिए इन नतीजों को खारिज नहीं किया जा सकता।

चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले साल भारत के अरबपतियों की संपत्ति में रोजाना बाईस अरब रुपए का इजाफा हुआ और एक फीसद अमीरों की संपत्ति तो साल भर के भीतर उनतालीस फीसद तक बढ़ गई और नौ अमीरों ने देश की आधी आबादी के पास मौजूद कुल संपत्ति के बराबर अपना खजाना भर लिया। दूसरी ओर गरीबों की संपत्ति का ग्राफ मात्र तीन फीसद बढ़ा। भारत में अमीरों की चांदी उस वक्त में हुई जब देश की अर्थव्यवस्था खस्ताहाली के संकेत दे रही है, औद्योगिक उत्पादन उत्साहवर्धक नहीं रहा, सरकारी और निजी क्षेत्र, दोनों में ही नौकरियां तेजी से खत्म की जा रही हैं और बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही है। पिछले साल कई महीनों तक रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर पड़ा रहा, पेट्रोल-डीजल ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए थे और देश का कृषि क्षेत्र और अन्नदाता किसान अपनी बदहाली पर आज भी रो रहा है। ऐसे में सवाल है कि अमीरों के इस बढ़ते खजाने पर किसको और क्यों खुश होना चाहिए!

भारत के समक्ष चुनौतियां गंभीर हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी और सार्वजनिक सेवाओं के मोर्चे पर सरकारें एकदम नाकाम रही हैं। देश में सरकारी चिकित्सा सुविधाओं की हालत दयनीय है। आबादी के अनुपात में पर्याप्त संख्या में न तो अस्पताल हैं, न चिकित्साकर्मी। यही हाल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का है। उच्च शिक्षा क्षेत्र इतना महंगा कर दिया गया है कि अब आम भारतीय परिवार बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि आने वाले वक्त में भारत के गरीब तबके की तस्वीर कैसी होगी। यह सोच कर खुश हुआ जा सकता है कि हम दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं, फ्रांस को पछाड़ चुके हैं और ब्रिटेन को पीछे छोड़ने वाले हैं, लेकिन इसके स्याह पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। समावेशी विकास हो या फिर मानव पूंजी सूचकांक, भारत अपने छोटे पड़ोसी देशों से भी पीछे है। दरअसल, भारत अब अमीरों की मुट्ठी में है। नीतियां अमीरों के लिए ही बन रही हैं और इनका असर भी साफ नजर आ रहा है। कर्ज पीकर मौज करने वालों की संख्या में इजाफा भी अमीरों की संख्या को बढ़ाता है। ऐसे में गरीबों की तादाद तो बढ़ेगी ही, लेकिन उनकी संपत्ति और ताकत घटेगी!

कल्पमेधा

प्राचीन पुस्तकें या शास्त्र जब भी उठाओ, तब उन्हें इस विश्वास से मत उठाओ कि उनमें दिए हुए प्रत्येक शब्द के गुलाम बन जाओ।
-रामतीर्थ

घुसपैठ और आंतरिक सुरक्षा

ब्रह्मदीप अलूने

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ ने बांग्लादेश के आतंकी संगठन हूजी से मिल कर असम, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर को इस्लामिक कट्टरतावाद से जोड़ने में काफी सफलता हासिल कर ली है। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगती है और इसका फायदा उठा कर पूर्वोत्तर के रास्ते भारत को आतंकवाद आयातित किया जा रहा है। इसमें घुसपैठ, तस्करी, मदरसों का जाल और बड़े पैमाने पर नकली मुद्रा का कारोबार शामिल है।

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री विलियम आर्थर लुइस ने कहा है कि प्रवास से पैदा होने वाली राजनीतिक कठिनाइयां वास्तव में आसानी से हल नहीं होतीं, अगर प्रवासी उस देश- समाज में समाहित न होने की ठान लें। दरअसल, भारत में अवैध प्रवासियों की समस्या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक मुद्दा रहा है। उत्तर-पूर्व इस समस्या से अभिशप्त नजर आता है, वहीं दिल्ली से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल भी अवैध प्रवासियों से प्रभावित और आशंकित हैं। किसी देश की शक्ति और सामर्थ्य में वहां के नागरिकों, संस्कृति और भूगोल का बड़ा योगदान होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में बहु-सांस्कृतिक परिवेश और उदार समाज रहा है जिसका भारत ने तो सम्मान किया और उसे आत्मसात भी किया, लेकिन पड़ोसी देशों के संस्कृतिवाद ने इस समूचे क्षेत्र की समस्याओं को बढ़ाया है। भारत की भौगोलिक परिस्थितियों की प्रतिकूलताओं ने भी देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए नित नई चुनौतियां पेश की हैं।

नेपाल और भारत के बीच करीब 1850 किलोमीटर की खुली सीमा है जहां पर मुक्त आवाजाही है। पाकिस्तान की खुफियां एजेंसी ने इसका खूब दुरुपयोग किया है। इस मार्ग से नकली मुद्रा का व्यापार, घुसपैठ और आतंकियों की आवाजाही आज बड़ी चुनौती बन गई है। भारत और नेपाल के प्राचीन और सांस्कृतिक संबंधों के कारण इस इलाके को सील करना संभव नहीं है और इसका खमियाजा हमारी आंतरिक सुरक्षा को भोगना पड़ रहा है। नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता और माओवाद के उभार से भारत के कई राज्य प्रभावित हो रहे हैं। माओवादी इस खुली सीमा से न केवल भारतीय सीमा में घुस जाते हैं, बल्कि रेड कॉरिडोर के जरिए भारतीय सुरक्षा व्यवस्था को भी गंभीर चुनौती पेश कर रहे हैं।

उत्तर-पूर्वी राज्यों में अरुणाचल, नगालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमाएं म्यांमा से मिलती हैं। अभी भी म्यांमा में पच्चीस लाख भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं और नगा जनजातियों के लोग सीमाओं के दोनों ओर स्थित हैं। इनमें नगा और कुकी जनजातियों की बड़ी आबादी है। जनजातियों के आपसी संबंधों के कारण दोनों देशों के बीच सोलह किलोमीटर के क्षेत्र में मुक्त आवागमन का प्रावधान है। यह सीमा रोहिंग्या घुसपैठ के लिए मुफीद मानी जाती है। म्यांमा में बहुसंख्यक बौद्धों और अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानों में जातीय संघर्ष जारी है। वहां की सरकार भी रोहिंग्या के प्रति कड़ा रुख अपनाए हुए है, ऐसे में रोहिंग्या वहां से भाग रहे हैं। भारत की सीमा के आसपास म्यांमा के सुरक्षा बलों की काफी कम तैनाती है, जिससे पूर्वोत्तर के अलगाववादी तत्त्व म्यांमा में आसानी से शिविर बना कर भारत में अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। रोहिंग्या को पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का प्रश्रय मिलता रहा है और वे भारत में आतंकी हमलों में संलिप्त भी रहे हैं। म्यांमा में बौद्ध-रोहिंग्या मुसलिम संघर्ष के बीच जेहादी संगठन एकजुट होकर म्यांमा को सबक सिखाने की घोषणा कर चुके हैं। इनमें यमन का अलकायदा समूह और पाकिस्तान के लश्कर-ए -तैयबा शामिल हैं। आइएस जैसी मजहबी मानसिकता को पसंद करने वाले लश्कर-ए-तैयबा ने भारत में कई महत्त्वपूर्ण स्थानों को आतंकी हमलों से दहलाया है। इसके संपर्क में सिमी और इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े आतंकी रहे हैं और स्लीपर सेल अनुकूल समय के इंतजार में हैं।

म्यांमा में सेना के दमन के दौर (1991-92) में करीब ढाई लाख रोहिंग्या बांग्लादेश भाग गए थे। उस दौरान पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्वी राज्यों की सीमा से घुस कर तकरीबन चालीस हजार रोहिंग्या भारत के विभिन्न स्थलों पर बस गए। भारत में चालीस हजार रोहिंग्या के होने का अनुमान है, जिनमें सोलह हजार संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थियों के तौर पर पंजीकृत हैं। भारत में बसे रोहिंग्या मुसलमान अब पाकिस्तान प्रायोजित आतंक का खतरनाक चेहरा बन कर यहां के बहुसांस्कृतिक समाज को हिंसा में झोंक सकते हैं और इसकी आशंका गहरा गई है। कश्मीर में आतंकी हमलों में रोहिंग्या भी शामिल रहे हैं। साल 2015 में कश्मीर में मारे गए दो विदेशी आतंकियों में से एक की पहचान म्यांमा के नागरिक के रूप में हुई थी। एक और घटना में जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर आदिल पठान के साथ छोटा बर्मी नामक एक रोहिंग्या कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ में मारा गया था। छोटा बर्मी पाकिस्तान में हाफिज सईद के साथ मंच साझा कर चुका था। इसके पहले साल 2013 में बोधगया में हुए

बम धमाकों को भी म्यांमा के धार्मिक संघर्ष से ही जोड़ कर देखा गया था। खुफिया ब्यूरो (आइबी) ने इसके पीछे अलकायदा से जुड़े संगठन जमात-अल-तवाहिद-वल-जिहाद का हाथ होने की संभावना जताई थी।

भारत और बांग्लादेश के बीच करीब चार हजार किलोमीटर से ज्यादा की सीमा है और यह मुख्यतः असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय और मिजोरम को छूती है। पूर्वी पाकिस्तान से असम में घुसपैठ का सिलसिला 1947 से लगातार चल रहा है। 1971 में बंगालियों पर पाकिस्तान सेना के अत्याचार से यह समस्या और ज्यादा गंभीर हो गई। इस समय देश से कहीं ज्यादा असम के एक परिवार में औसतन 5.5 सदस्य हैं, जिसके कारण राज्य की बेरोजगारी दर बढ़ कर इकसठ फीसद तक पहुंच गई है। 2001 से 2011 के बीच असम के बरपेटा, बोंगाईगांव, नगांव, ग्वालपाड़ा, कछार, धेमाजी, करीमगंज, हेला कांडी जैसे सीमावर्ती जिलों में अधिकांश इलाकों में जनसंख्या का फीसद तीस तक बढ़ गया है। बांग्लादेश और भारत की सीमा के बीच पूर्वोत्तर की भौगोलिक परिस्थितियां घुसपैठ के लिए अनुकूल हैं। देश के उत्तर-पूर्व के सबसे बड़े राज्य असम में रहने वाले भारतीय नागरिक अपने भौतिक संसाधनों पर बांग्लादेशियों के कब्जे और रोजगार खत्म होने से बेहद नाराज हैं। यह नाराजगी धीरे-धीरे अलगाव और पृथकतावाद तक पहुंच गई है। असम में घुसपैठ के कारण आदिवासियों के सामने सांस्कृतिक, आर्थिक और जातीय पहचान का संकट उत्पन्न हो गया और इसी कारण वहां अलगाववादी संगठन उल्फा अस्तित्व में आया।

त्रिपुरा जनजातियों का राज्य माना जाता था और यहां अस्सी फीसद जनजातियां निवास करती थीं। अब जनजातीय समूह अल्पमत में आ गए हैं। पूर्वोत्तर के इस जनसांख्यिकी बदलाव से सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान खोने का संकट बढ़ा तो जनजातीय समूहों ने हथियार उठा लिए और अब इन इलाकों में पृथकतावादी और हिंसक आंदोलनों का गहरा प्रभाव देखने में आता है। असम और त्रिपुरा दोनों ऐसे राज्य हैं जो घुसपैठ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ ने बांग्लादेश के आतंकी संगठन हूजी से मिल कर असम, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर को इस्लामिक कट्टरतावाद से जोड़ने में काफी सफलता हासिल कर ली है। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगती है और इसका फायदा उठा कर पूर्वोत्तर के रास्ते भारत को आतंकवाद आयातित किया जा रहा है। इसमें घुसपैठ, तस्करी, मदरसों का जाल और बड़े पैमाने पर नकली मुद्रा का कारोबार शामिल है।

असम में अवैध प्रवासी की समस्या बदस्तूर जारी है और अब यह आंतरिक सुरक्षा के लिए भी चुनौती बन गई है। इससे असम के लोगों की अपनी पहचान खतरे में पड़ गई है और राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी खतरा मंडराने लगा है। असम के पूर्व राज्यपाल ने तो कहा भी था कि वृहत बांग्लादेश के सपने को साकार करने के लिए असम के साथ सड़क मार्गों से शेष देश के हिस्सों को जोड़ने की रणनीति पर अमल किया जा रहा है। इससे समूचे पूर्वोत्तर के देश से अलग होने का खतरा पैदा हो गया है। यदि ऐसा हो गया तो यह रणनीतिक और आर्थिक तबाही मचाने वाला होगा। इसलिए सीमाओं को सुरक्षित कर घुसपैठ पर रोक लगाना देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए बेहद जरूरी है।

आतिथ्य का परिवेश

अशोक कुमार

कई साल बाद पिछले हफ्ते एक नजदीकी रिश्तेदार के घर गया, जहां भरा-पूरा पारिवारिक माहौल था। घर से निकलते समय रास्ते में हमने आपस में राय-विचार कर तय किया कि कुछ मिठाई ले ली जाए, क्योंकि एक तो संबंधी करीबी हैं और दूसरे, वहां बच्चे भी हैं। खाली हाथ जाना उचित नहीं होगा। इसलिए एक अच्छी दुकान से हमने मिठाई ली, उसे अच्छे से पैक कराया और रिश्तेदार के घर गए। सामान्य शिष्टाचार और अभिवादन की औपचारिकता के बाद मिठाई के डिब्बे को मुस्कान के साथ वाली मुद्रा में पत्नी ने घर की बहूरानी के हाथ में सौंप दिया। उधर से तुरंत कहा गया कि ओह ये मिठाई आप लोग क्यों लाए... इसकी जरूरत नहीं थी। आप लोग आए, यही काफी है। वैसे भी आजकल बच्चे मिठाई खाना तो दूर, छूते भी नहीं हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि आजकल बच्चों का 'टेस्ट' कितना बदल गया है!'

इस कथन से थोड़ी असहजता का भाव लिए हम लोग स्वागत कक्ष में बैठ गए। रिश्तेदार के घर जाने से पहले हम जिस जोश-खरोश से भरे हुए थे, अब वहां एक अल्प अपराध बोध मन से संधि कर बैठा। जिस मनोयोग और उल्लास के साथ हमने मिठाई खरीदी थी, उसकी मिठास एक अजीब चिंतन की तरंग के रूप में स्वागत कक्ष के कोने में खोने पर विवश हो गया। बहरहाल, कुशल-क्षेम पूछने और अन्य मसलों पर बातचीत के साथ-साथ अल्पाहार और चाय आदि की औपचारिकता के बाद हम लोग घर की ओर लौटे।

उस दिन घर लौटते समय मानस पटल पर अंकित बचपन की कुछ धुंधली स्मृतियां सहज रूप से तरल होकर जीवंत हो उठीं। यादों ने मन को झकझोरते हुए बताया कि बाल्यकाल में जब हमें किसी अतिथि के घर आने की सूचना होती थी तो मिठाई खाने की ललक और प्रतीक्षा हमें कितना बेसब्र कर दिया करती थी! घर के मुख्य दरवाजे पर किसी के आने की आहट से लगता था कि वे आ गए। अतिथि के आगमन तक मन में स्वतःस्फूर्त हार्दिक हलचल रोमांचकारी हुआ करती थी। आखिरकार अतिथि महोदय के आगमन के बाद उनके लाए संदेश की पोटली या डिब्बे पर परोक्ष ध्यान तब तक केंद्रित रहता था, जब तक अपने हिस्से का अंश हमें मिल न जाए। इसके बाद जब इसके मिल जाने पर जो खुशी और उमंग की रिमझिम बारिश हृदय स्थल में होती थी, उसे आज भी ज्यों का त्यों बयान करना संभव नहीं लगता।

दुनिया मेरे आगे

आज बदली हुई परिस्थितियों ने जब सभी सामाजिक और मानवीय परंपराओं और विकल्पों को क्षरण के पथ का पथिक बना दिया है तो मेहमानबाजी या आतिथ्य भाव की रुग्णता भी एक कसक बन कर हमें चिढ़ा रही है। अतिथि के आगमन का पहला संकेत लोग तब मान लेते थे, जब सुबह-सुबह घर के छप्पर पर बैठे कौवे कांव-कांव करने लगते थे। कई बार कौवों के बोलने के बाद गोधूलि बेला तक मेहमान के आने का खयाल सही सिद्ध हो जाता था। उनके आगमन पर घर के सभी सदस्यों में एक आत्मीय उत्साह का सात्विक स्पंदन होता था। उनके आदर-सत्कार में कोई कमी नहीं करने का संकल्प बहुत ही स्नेहिल उदाहरण माना जाता था। घर में किसी चीज की कमी की पूर्ति आस-पड़ोस के घर से हो जाती थी।

यह बताना उचित होगा कि घर आई नई नवेली दुल्हन के पिता, चाचा, भाई के आगमन पर गले लग कर या पैर पकड़ कर रोने के भाव-स्वर से अपनत्व के घनत्व में दो परिवारों के मिलन के महत्त्व की ऊंचाई मापी जाती थी। आगंतुक के पीतल-कांसे की थाली में पैर पखारने का विधि-विधान संबंध की समरसता और आपसी संवेदना की सरिता के प्रवाह को और शीतल किया करता था। हालांकि अतिथि दो-चार पहर या एक-दो दिनों में लौट जाते थे, लेकिन उनके ठहराव के पल एक चिर-स्मरणीय छाप छोड़ जाते थे। आस-पड़ोस के लोग अतिथि से मिलने और गपियाने में कोई कसर नहीं रखते थे।

किसी दुखद घटना में संबंधियों का आना और हिम्मत बंधाते हुए आवश्यक संसाधन से सहयोग करने का भरोसा देना शोक काल में एक सहारे का मंत्र सिद्ध होता था। घर आए अतिथि को घरेलू व्यंजन परोस कर उनकी संतुष्टि का खयाल रखा जाना महत्त्वपूर्ण था। लेकिन आज बदली हुई परिस्थितियों में रेडीमेड व्यंजनों की भरमार ने हर किसी को अतिथि से 'गेस्ट' बना दिया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों में अधिकतर भले ही डिग्रीविहीन थे, लेकिन मूल्यों और भाव-संवेदना के मामले में अति विद्वान थे। उन्होंने आतिथ्य भाव के गौरव और गरिमा को कभी सर्वोच्च स्थान दिया था जो आज भटकाव की दिशा की ओर अग्रसर है। परिवार का विखंडन, स्वार्थ की ललक, भौतिक व्यामोह, आत्मकेंद्रित होना आदि कुछ ऐसी व्याधियां हैं, जिन्होंने हमारे उज्ज्वल और प्रेरक व्यवहारों को हमसे दूर कर दिया है और हम 'अतिथि कब जाओगे' जैसे लकीर के फकीर बन गए हैं। काश, सुबह के भूले हम शाम को घर लौट जाते!

वक्त का तकाजा

उपराष्ट्रपति ने संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामे, शोर-शराबे और व्यवधान पर चिंता जाहिर करते हुए राजनीतिक दलों से कहा है कि वे अपने सांसदों के लिए एक आचार संहिता तैयार करें। उनकी चिंता जायज है क्योंकि संसद भारत के सवा सौ करोड़ लोगों की आवाज को स्वर देने का मंच है, लेकिन उसका बहुमूल्य समय प्रायोजित हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। ऐसे में ब्रिटेन की तर्ज पर भारत में भी सांसदों के लिए आचरण संहिता बनाना समय की मांग है। गौरतलब है कि ब्रिटेन में नोलन समिति की सिफारिश के आधार पर हाउस ऑफ कॉमंस के सदस्यों के लिए आचरण संहिता बनाई गई है जिसमें कहा गया है कि संसद सदस्य हर समय खुद को इस तरह पेश करेंगे कि संसद की अखंडता और कार्यक्षमता में जनता का विश्वास बनाए रखने में मदद मिले। उसके बाद वहां संसदीय कामकाज में सुधार हुआ है।

भारत में 2012 से 2016 के दौरान पांच वर्षों में लोकसभा की सालाना औसतन 69 दिन बैठकें हुईं, जिनमें से औसतन 20 दिन सदन की कार्यवाही बाधित रही। जबकि राज्यसभा में 68 दिनों में से 21 दिन अवरोध/व्यवधान होने से बर्बाद हुए। यानी बैठकों की कुल संख्या में लोकसभा में 30 फीसद और राज्यसभा में 35 फीसद समय व्यवधान में बीत गया। हंगामों और गतिरोध के कारण लगातार संसद का बाधित होना हमारे लोकतंत्र को कमजोर बनाने जैसा है। सवाल है कि हंगामे और स्थायी गतिरोध से हम देश और दुनिया की नजरों में संसद की क्या छवि बना रहे हैं!

अन्य लोकतंत्रों की तुलना में भारतीय संसद की कम अवधि के लिए बैठकें होती हैं। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमंस और हाउस ऑफ लॉर्ड्स हर वर्ष 150 से अधिक दिनों और अमेरिका में प्रतिनिधि सभा और सीनेट 133 दिनों के लिए मिलते हैं। जबकि भारत में लोकसभा में 1950 के दशक में जहां एक साल में औसतन 127 दिन कामकाज होता था वहीं आज इस कामकाज का औसत घटकर 73 दिन तक सिमट गया है और इसमें लगातार गिरावट का दौर जारी है।

संसद में बार-बार गतिरोध न हो और इसका कामकाज सुचारु रूप से चले इसके लिए संविधान में संशोधन कर यह अनिवार्य किया जाए कि लोकसभा में 120 दिन और राज्यसभा में साल में कम से कम 100 दिन कामकाज हो। इससे राजनीतिक दलों की जवाबदेही बनेगी। जब कामकाज के दिन तय हो जाएंगे तब सांसदों को बहस करनी ही होगी, आंकड़े जुटाने होंगे और अपने क्षेत्र की जनता को जवाब देना होगा।

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

जब से संसदीय कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू किया गया, तब से कुछ माननीयों ने इसे अपने क्षेत्र के लोगों, पार्टी और मीडिया के बीच सुर्खियां पाने का माध्यम बना लिया है। इस समस्या के निदान के लिए एक उपाय यह हो सकता है कि सदन की कार्यवाही के संपादित अंश दिखाए जाएं। साथ ही संसदीय नैतिकता और विशेषाधिकारों का वर्गीकरण करना चाहिए ताकि उनका उल्लंघन करने पर जांच सुनिश्चित की जा सके।

● *कैलाश एम बिश्नोई, नई दिल्ली*

योजना में सेंध

केंद्र सरकार की महत्त्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना देश के तमाम वंचितों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए बनाई गई थी, लेकिन हमारे देश में तमाम अच्छी योजनाओं को पलीता लगाया जाता रहा है। एक समाचार के अनुसार वंचित और कमजोर लोगों की बजाय करोड़पतियों, सरकारी कर्मचारियों, कारोबारियों, यहां तक कि पूर्व राज्यसभा सांसद सहित कई विधायकों ने अपना नाम जुड़वा कर इस योजना का मजाक बना दिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि हमारी केंद्र व राज्य सरकारें गरीब और कमजोर लोगों के लिए योजनाएं बनाती हैं तो रसूखदार व सुविधा संपन्न लोग इनका लाभ उठाकर योजनाओं पर ग्रहण लगा देते हैं। सरकार को इस मामले में न केवल सख्ती से कदम उठाना चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित भी करना चाहिए कि जिन लोगों के लिए योजना बनी है वही उससे लाभान्वित हों।

● *हेमा हरि उपाध्याय, खाचरोद, उज्जैन*

दस साल बाद

इन दिनों सोशल मीडिया पर '10 ईयर चैलेंज' की धूम है। लोग अपनी दस वर्ष पुरानी फोटो की 2019 की फोटो से तुलना कर रहे हैं। दरअसल, हमें इस चैलेंज को नए रूप में देखना चाहिए। मसलन, हमारा पर्यावरण इन दस वर्षों में कितना घातक हो चुका है, जिसमें सांस लेने तक के लिए स्वच्छ हवा लगातार खत्म होती जा रही है! बीते दस बरसों में इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्यों इतना अधिक बढ़ गया है कि उसे न तो नष्ट किया जा सकता है न दुबारा प्रयोग में लाया जा सकता है!

महिलाओं के खिलाफ अपराध भी इन दस वर्षों में काफी बढ़े हैं। किसानों की आत्महत्याएं, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ते अपराध, मानव तस्करी आदि इन दस सालों में चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई हैं। यह सब सुधारा जाना चाहिए था लेकिन इस मोर्चे पर हमारे देश की हालत दिन-पर-दिन खराब होती जा रही है जो चिंता का विषय है। आज हम सबको प्रण लेना होगा कि आने वाले दस वर्षों में अपने पर्यावरण और देश-दुनिया को पहले से बेहतर बनाएंगे।

● *आशीष, राम लाल आनंद कॉलेज, दिल्ली*

भविष्य की जरूरत

भारत के मोटर वाहन अनुसंधान संघ द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि पेट्रोल में मेथेनॉल के 15 फीसद इस्तेमाल से बीएस-4 वाहनों में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 30 फीसद तक कम किया जा सकता है। मेथेनॉल प्राकृतिक गैस व कोयले से बनाया जाता है। कचरे व कृषि उत्पाद से भी मेथनॉल प्राप्त कर सकते हैं और भारत में मेथेनॉल के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हैं।

मेथेनॉल मिश्रित ईंधन के उपयोग से बहुआयामी लाभ हैं। आज भारत तकरीबन सात लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल खाड़ी देशों से आयात करता है। अगर हम मेथेनॉल को अपनाते हैं तो कच्चे तेल के आयात को 30 फीसद तक कम सकते हैं और विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि कर सकते हैं। मेथेनॉल ईंधन पर्यावरण के लिए भी हितकारी है। इसके उपयोग से प्रदूषण को कम किया जा सकता है। गौरतलब है कि परिवहन मंत्रालय ने 2030 तक ईंधन में मेथेनॉल की मात्रा 20 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही सरकार बिजली-बैटरी से चलने वाले वाहनों के उत्पादन पर जोर दे रही है जो भविष्य की जरूरत भी हैं।

● *योगेश मिश्रा, जयपुर*